फैक्स / अति आवश्यक

संख्याः– 1607 /XXXVIII/क्रा0क0प्र0/2012–13

प्रेषक,

अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड देहरादून,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(भूलेख अनुभाग)
उत्तराखण्ड।

देहरादून, दिनाँक, 30 मार्च, 2013

विषयः– **फसली वर्ष 1420 (वर्ष 2012–13) रबी क्राप–कटिंग प्रयोगों का अनिवार्य निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 3672/XXXVIII/क्रा0क0प्र0/2011–12 दिनांक 05 नवम्बर 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजस्व, कृषि एवं विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा रबी 2012–13 में क्राप–कटिंग प्रयोगों का अनिवार्य निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण न करते हुये अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण कराते हैं, जिससे परिषद के आदेशों की अवहेलना होती है। अतः भविष्य में निरीक्षण अधिकारी स्वयं ही क्राप–कटिंग प्रयोगों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर उक्त क्राप–कटिंग प्रयोगों का अनुश्रवण (Monitoring) कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से परिषद को भी अवगत करायें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनाँकः–उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2– कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर देहरादून।
3– संयुक्त कृषि निदेशक (सां0), कृषि निदेशालय, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।
4– अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी/संयुक्त निदेशक कृषि कुमाँऊ मण्डल, नवीन मण्डी परिसर, बरेली रोड, हल्द्वानी ।
5– उप कृषि निदेशक (सां0), कृषि निदेशालय, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।

अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

E:\LETTERS\Agriculture Statistics Letter.doc